शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–बी–2–729/दस–2013–आर–2/2012

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव,
   समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक 16 अप्रैल, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–2013 के चतुर्थ त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या–टी.एम.–II/ग्रुप–4/लेखामिलान/एफ.–18/2210, दिनांक 22 मार्च, 2013 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रकिया के कम में **माह जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 14 मई, 2013 से 24 मई, 2013 तक** की अवधि निर्धारित की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे **वित्तीय वर्ष 2012–2013 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2013 से मार्च, 2013) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य** संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.–4) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि **अनुदान संख्या–81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षों के व्यय के आंकड़ों का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा।** नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

...../2

4– लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 23–05–2013 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रकिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–729(1)/दस–2013–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र संख्या टी.एम.–II/ग्रुप–4/लेखामिलान/एफ.–18/2210, दिनांक 22 मार्च, 2013 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र में उल्लिखित बी.एम.–8 संशोधित बजट मैनुअल के अनुसार अब बी.एम.–4 हो गया है।
2. उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)– द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।
7. प्रभारी निकनेट सेल, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेब साईट में प्रदर्शित किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–729/दस–2013–आर–2/2012, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

वित्तीय वर्ष 2012–2013 से सम्बन्धित माह जनवरी, 2013 से मार्च, 2013 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1.	आबकारी	14.05.2013
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/ खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	
5.	ऊर्जा	
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7.	रेशम विभाग	
8.	कृषि विभाग	
9.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	
13.	ग्राम्य विकास विभाग	15.05.2013
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	
17.	पंचायती राज विभाग	
18.	पशुधन	
19.	दुग्ध विकास	
20.	मत्स्य	
21.	सहकारिता	
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति	
23.	खाद्य एवं रसद	
24.	खेल एवं युवा कल्याण	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	16.05.2013
26.	गृह (कारागार)	
27.	गृह (पुलिस)	
28.	नागरिक सुरक्षा	
29.	राजनीतिक पेंशन	
30.	गृह (गोपन)	
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32.	परिवार कल्याण विभाग	
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	
37.	नगर विकास	
38.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
39.	नागरिक उड्डयन	17.05.2013
40.	भाषा	
41.	नियोजन	
42.	निर्वाचन	
43.	न्याय	
44.	परिवहन	
45.	पर्यटन	
46.	पर्यावरण	
47.	प्रशासनिक सुधार	
48.	प्राविधिक शिक्षा	
49.	अल्पसं ख्यक कल्याण	
50.	महिला एवं बाल विकास	
51.	राजस्व	20.05.2013
52.	सहायता एवं पुर्नवास	
53.	राष्ट्रीय एकीकरण	
54.	लोक निर्माण	
55.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56.	वन	
57.	वित्त विभाग	
58.	विधान परिषद सचिवालय	
59.	विधान सभा सचिवालय	
60.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	21.05.2013
62.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	
63.	बेसिक शिक्षा	
64.	माध्यमिक शिक्षा	
65.	उच्च शिक्षा	
66.	श्रम	
67.	सचिवालय प्रशासन	
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
69.	विकलांग कल्याण	
70.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71.	समाज कल्याण	
72.	जनजाति कल्याण	22.05.2013
73.	सतर्कता विभाग	
74.	सामान्य प्रशासन	
75.	सार्वजनिक उद्यम	
76.	सूचना	
77.	सैनिक कल्याण	
78.	संस्थागत वित्त	
79.	स्टाम्प एवं पंजीयन	
80.	मनोरंजन कर	
81.	व्यापार कर	
82.	सांस्कृतिक कार्य	
83.	सिंचाई	
84.	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	23.05.2013